परिपत्र : सं. 430 [एफ. संख्या 225/101/85-आईटी (ए-II)], दिनांक 6-9-1985

अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाई गई योजना को समय-समय पर संशोधित किया गया है ताकि वित्तीय वर्ष 1984-88 तक अनिवार्य जमा करने की देयता का प्रावधान किया जा सके। अधिनियम के अंतर्गत, किसी वित्तीय वर्ष में किया गया या वसूल किया गया अनिवार्य जमा, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की समाप्ति पर, ब्याज सहित, पांच बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना होता है।

2.अब यह निर्णय लिया गया है कि अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य जमा करने की योजना को 1-4-1985 से समाप्त कर दिया जाए। इसलिए, वित्तीय वर्ष 1985-86 से अनिवार्य जमा करने की कोई देयता नहीं होगी। हालांकि, अनिवार्य जमा योजना (आयकरदाता) संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा किए गए संशोधन के तहत, कोई भी जमाकर्ता वित्तीय वर्ष 1985-86 की समाप्ति से पहले, उससे संबंधित कोई भी राशि निकालने का हकदार नहीं होगा, जो उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान या भुगतान के लिए देय हो। ऐसी राशि पर उस अवधि के लिए ब्याज लगेगा जैसे कि वह अनिवार्य जमा हो तथा अधिनियम के प्रावधान ऐसी राशि के संबंध में लागू होते रहेंगे।

3.इस संबंध में उठाए गए *कुछ प्रश्नों*को नीचे *स्पष्ट किया* गया है:

प्रश्न	उत्तर
(*1*) क्या कोई बैंक 31-3-1985 के बाद अनिवार्य जमा का भुगतान स्वीकार कर सकता है?	हां। बैंक 31-3-1985 के बाद भी अनिवार्य जमा का भुगतान स्वीकार कर सकता है। हालांकि, यह प्रश्न कि क्या जमाकर्ता धारा 10 के अंतर्गत दंड का पात्र है, इसका निर्णय आयकर अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
(*2*) क्या 1-4-1985 से पहले 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य जमा खाते में जमा राशि का भुगतान किया जा सकता है?	हां। संशोधन अधिनियम द्वारा एक वर्ष तक भुगतान स्थगित करने का प्रावधान ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होता।
(*3*) क्या किसी व्यक्ति को, जो 1-4-1985 से पूर्व योजना के अंतर्गत किश्तों का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र था, किन्तु जिसने निकासी नहीं की थी, वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान ऐसी राशि का भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है?	हां। किश्तों और ब्याज के भुगतान का स्थगन केवल वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान चुकौती के लिए आने वाली राशियों के संबंध में लागू होता है, न कि उन राशियों के लिए जो पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान चुकौती योग्य हो गई थीं।
(*4*) अत्यधिक कठिनाई के मामलों में, क्या वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान धारा 8(1) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत किसी जमा राशि या उसकी किसी किस्त का पहले भुगतान अनुमेय होगा?	हां। हालांकि, ऐसे पूर्व भुगतान धारा 8(1) के दूसरे परंतुक में निर्धारित शर्तों की संतुष्टि के अधीन होंगे।

■■